प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 105/**2024** (अपील सूचना का अधिकार)

Sandeep Chaplot C/o Ostwal plaza 2, Girwa, Udaipur ....**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर ....**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 18-9-24

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329933136647111 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 05.08.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 2308930665 दिनांक 22.08.2024 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/105/24/989–80 दिनांक 22.08.2024 से लिखा गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक भू.अ./सूअअ/2005/2024/1996 दिनांक 03.09.2024 से जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील के संबंध में पूर्व में श्रीमान के यहां विचाराधीन प्रथम अपील संख्या 67/24 में समस्त दस्तावेज प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 1427 दिनांक 24.06.24 से उपलब्ध करवाये जा चुके है। अपीलार्थी द्वारा पुनः प्रथम अपील दर्ज की गई है जिसमें अपीलार्थी राजस्व ग्राम सुन्दरवास के खात संख्या 38 में दर्ज खातेदार नगर विकास प्रन्यास के नाम पर अंकित हिस्से 15/58 का नक्शा ट्रेस में हिस्सा अंकन करवाना चाहतां है जबकि उक्त कृषि भूमि संयुक्त खातेदारान के नाम होने से समस्त खातेदार द्वारा विधिवत प्रार्थना पत्र आपसी सहमति से बटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् ही वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जा सकती है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रथम अपील में अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना बंटवाड़ा होने के पश्चात् ही उपलब्ध किये जाने से जवाब पत्रावली पर लिया जाकर उक्त प्रथम अपील निरस्त करने का आदेश फरमावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 03.09.2024 अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 24.06.2024 से वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अपीलार्थी द्वारा अपने अपील प्रार्थना पत्र में भी स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा पूर्व में प्रथम अपील इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई और प्रथम अपील को खारिज किया गया।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 04.05.2024 को प्रथम आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गिर्वा के समक्ष प्रस्तुत सूचना चाही गई थी। सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 08.06.24 को प्रथम अपील इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई। प्रथम अपील उपरांत प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 24.06.24 से अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 1427 अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई। इसके उपरांत अपीलार्थी द्वारा पुनः दिनांक 05.08.24 को प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत की गई उसके उपरांत दिनांक 06.08.24 को पुनः उक्त आवेदन के लिए प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 06.08.24 को ही पुनः अपीलार्थी चाही गई सूचना उपलब्ध चाहे गये प्रारूप में सृजित नहीं होने से सूचना के विनिश्चय से अवगत करवा दिया गया था।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा माननीय द्वितीय अपील आयोग में द्वितीय अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। ऐसी स्थिति में पत्रावली में कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रह जाने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गिर्वा एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर